

भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण

भादूविप्रा ने वायरलेस से वायरलेस घरेलू कॉल समापन प्रभारों पर विनियम जारी किया

नई दिल्ली, 17 दिसंबर, 2019: भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण (भादूविप्रा) ने आज "दूरसंचार इंटरकनेक्शन उपयोग प्रभार (पंद्रहवां संशोधन) विनियम, 2019" जारी किया, जो वायरलेस से वायरलेस घरेलू कॉल समापन प्रभार के संबंध में बिल और कीप (बीएके) व्यवस्था को लागू करने की तिथि में संशोधन का प्रावधान करता है।

2. घरेलू समापन प्रभार थोक प्रभार हैं, जिनका भुगतान उन दूरसंचार सेवा प्रदाताओं (टीएसपी) द्वारा किया जाता है जिनके उपभोक्ता उस टीएसपी के लिए कॉल प्रारंभ करते हैं, जिसका नेटवर्क कॉल को समाप्त करता है।

3. विनियम की मुख्य विशेषताएं निम्नानुसार हैं:

क) वायरलेस से वायरलेस घरेलू कॉल के लिए समापन शुल्क 31 दिसंबर, 2020 तक प्रति मिनट 0.06 रु. (केवल छह पैसे) ही रहेगा।
ख) 1 जनवरी, 2021 से वायरलेस से वायरलेस डोमेस्टिक कॉल के लिए समाप्ति शुल्क शून्य होगा।

4. भादूविप्रा ने वायरलेस से वायरलेस समापन कॉल के संबंध में बीएके व्यवस्था को लागू करने की तिथि की समीक्षा पर हितधारकों की टिप्पणियां प्राप्त करने के लिए 18.09.2019 को इंटरकनेक्शन उपयोग प्रभार की समीक्षा के लिए एक परामर्श पत्र (सीपी) जारी किया। हितधारकों को 18.10.2019 तक लिखित टिप्पणी और 01.11.2019 तक प्रति-टिप्पणी प्रस्तुत करने को कहा गया है। हितधारकों से प्राप्त टिप्पणियों और प्रति-टिप्पणियों को भादूविप्रा की वेबसाइट पर रखा गया था। सभी हितधारकों के साथ मुद्दों पर चर्चा करने के लिए नई दिल्ली में 15.11.2019 को एक खुला मंच चर्चा आयोजित की गई थी।

5. हितधारकों से लिखित में प्राप्त टिप्पणियों और खुला मंच चर्चा के दौरान तथा अपने स्वयं के विश्लेषण के आधार पर, प्राधिकरण ने इन विनियमों के माध्यम से 1 जनवरी 2021 से वायरलेस से वायरलेस घरेलू कॉल के संबंध में बिल और कीप (बीएके) व्यवस्था को लागू करने की तारीख यानी शून्य समापन प्रभारों को लागू करने की संशोधित तिथि निर्धारित की है। विनियमों में संशोधन के उद्देश्य और कारण विनियमों के लिए दिए गए व्याख्यात्मक ज्ञापन में दिए गए हैं।

6. व्याख्यात्मक ज्ञापन के साथ "दूरसंचार इंटरकनेक्शन उपयोग प्रभार (पंद्रहवां संशोधन) विनियम, 2019" का पूरा पाठ भादूविप्रा की

वेबसाइट www.trai.gov.in पर उपलब्ध है ।

7. किसी भी जानकारी/स्पष्टीकरण के लिए श्री एस के सिंघल, सलाहकार (बीबी एंड पीए) से टेलीफोन नंबर: 011-23221509 पर संपर्क किया जा सकता है।

(एस. के. गुप्ता)
सचिव, भादूविप्रा

**अस्वीकरण: यह विज्ञप्ति / निविदा मूलरूप से अंग्रेजी में लिखित विज्ञप्ति / निविदा का हिंदी अनुवाद हैं।
यदि इसमें कोई विसंगति परिलक्षित होती है तो अंग्रेजी में लिखित यह विज्ञप्ति / निविदा मान्य होगी।**